विविध बैंक प्रकरण संख्या 114/2019 (RCMS 2019/00191) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–सूरतगढ श्रीगंगानगर (राज.) जरिये श्रीजसबीर सिंह मीलू, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, मीराम चौक, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स ईक्कीस एसोसिएटस – पार्टनर–1 प्रो. श्री हरी मोहन सारस्वत पुत्र श्री सुगन चंद सारस्वत एवं पार्टनर–2 श्रीमति आशा शर्मा पत्नी श्री दीपक शर्मा निवासी 1/5 बी, ईक्कीस रोड, आरएचबी कॉलोनी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.) एवं भग्गूवाला कुआं रोड, आजाद चौक, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर (राज.) 3. श्रीमती जयश्री सारस्वत पत्नी श्री हरी मोहन सारस्वत निवासी 1/5 बी, ईक्कीस रोड, आरएचबी कॉलोनी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.01.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स ईक्कीस एसोसिएटस –प्रो. श्री हरी मोहन सारस्वत एवं श्रीमती आशा शर्मा और श्रीमती जयश्री सारस्वत को ऋण सुविधा के रूप में 27.00 लाख रूपये (अखरे रूपये सत्ताईस लाख रूपये मात्र) का ऋण दिनांक 14.07.2014 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी श्रीमती जयश्री सारस्वत एवं श्रीमती आशा शर्मा की अचल सम्पत्ति चक 1 के एसआर(बी), खाता नं. 38, पत्थर नं. 40/346, किल्ला नं. 20/1, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर(क्षेत्रफल 4537.50 वर्गफुट) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

ऋणी के नाम दिनांक 31.03.2019 को 21,45,777/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 13.05.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को नोटिस की तामील हो चुकी है जिसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी श्रीमती जयश्री सारस्वत एवं श्रीमती आशा शर्मा द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति चक 1 के एसआर(बी), खाता नं. 38, पत्थर नं. 40/346, किल्ला नं. 20/1, तहसील सूरतगढ (क्षेत्रफल 4537.50 वर्गफुट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स इक्कीस एसोसिएट्स – प्रो. श्री हरी मोहन सारस्वत, श्रीमती आशा शर्मा एवं श्रीमती जयश्री सारस्वत को 27.00/–लाख रूपये (अखरे रूपये सत्ताईस लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 14.07.2014 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में श्रीमती जयश्री सारस्वत एवं श्रीमती आशा शर्मा द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति चक 1 के एसआर(बी), खाता नं. 38, पत्थर नं. 40/346, किला नं. 20/1, तहसील सूरतगढ(क्षेत्रफल 4537.50 वर्गफुट) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 31.03.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 13.05.2019 को जारी किया गया है एवं धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट जारी किये गए है, की रसीद एवं

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑफिस की प्राप्ति रसीद एवं ट्रेक कन्साईनमैंट की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी ऋणियों को नोटिस तामील हुए है, जिनकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार उक्त धारा 13(2) के नोटिस उनपर तामील हो चुके है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणियों ने प्रार्थी बैक की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 13.05.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 13.05.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थी मै. इक्कीस एसोसिएट्स –प्रो. श्री हरीमोहन सारस्वत व श्रीमती आशा शर्मा एवं श्रीमती जयश्री सारस्वत के नाम जारी किये गये है जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो चुके है, परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस की प्राप्ति रसीद एवं ट्रेक कंसाईन्मैंट की प्रतियां रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्राथी ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पति चक 1 के एसआर(बी), खाता नं. 38, पत्थर नं. 40/346, किल्ला नं. 20/1, तहसील सूरतगढ (क्षेत्रफल 4537.50 वर्गफुट) जो में श्रीमती जयश्री सारस्वत एवं श्रीमती आशा शर्मा के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है परन्तु बंधक रखी गई सम्पत्ति कृषि भूमि के रूप में है, उसके अकृषि भूमि के रूप में रूपान्तरण आदेश प्रस्तुत नहीं किया है एवं पत्रावली में ऋण स्वीकृति पत्र भी उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में बंधक रखी गई उक्त कृषि भूमि का भौतिक कब्जा चाहा है जबकि पत्रावली के उपलब्ध अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र में बंधक सम्पत्ति का अंकन न होकर बंधक माल (Hypothecation of stock of Paper, Ink, Plates and other Packing material and plant and machinery Purchase with bank loan) का अंकन है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 खारिज किया जाता** है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर